पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

टूलकिट - 02

सामाजिक अंकेक्षण जरूरत एवं महत्व

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

समर्थन

सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर उप्पल,
अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव

प्रकाशन वर्ष	:	2017
कुल प्रतियां	:	500
प्रकाशक	:	टीआरआईएफ, समर्थन
सहयोग	:	अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स
मुद्रक	:	गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

टूलकिट - 02

सामाजिक अंकेक्षण जरूरत एवं महत्व

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ–साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अत: पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

विषय सूची

सामाजिक अंकेक्षण क्या है?	5
सामाजिक अंकेक्षण क्यों?	6
सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य व फायदे	7
वित्तीय अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण	7
विभिन्न योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण के वैधानिक प्रावधान	8
अभ्यास–1	11
सामाजिक अंकेक्षण का दायरा	12
सामाजिक अंकेक्षण के चरण	13
ग्राम सभा जागरूकता	13
ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन	13
समिति सदस्यों की क्षमता वृद्धि करना	13
जानकारियां इकठ्ठा करना	15
जानकारियों का एकजाईकरण	16
जानकारियों का सत्यापन	16
सारांश/गोशवारा तैयार करना	18
ग्राम सभा बैठक एवं रिपोर्ट की प्रस्तुति	20
ग्राम सभा की बैठक बुलाने का तरीका	21
ग्राम सभा कार्यवाही एवं सामाजिक अंकेक्षण	22
सामाजिक अंकेक्षण/ग्राम सभा के मुद्दों पर कार्यवाही	23
जनसुनवाई	24
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान क्या करें, क्या न करें	26
सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े कुछ सवाल?	27
अभ्यास–2	28

सामाजिक अंकेक्षण क्या, क्यों एवं कैसे करें?

हमारे देश में जनतंत्र की व्यवस्था है। जिसका मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता के द्वारा सरकार। जिस जनता की सरकार है उसे सरकार के काम का, पैसों के खर्च का सत्यापन करने का हक है। इस हक को कानून बनाकर और पुख्ता करने की कौशिश की गई है। समाज की जितनी ज्यादा निगरानी सरकार और सरकार के कामकाजों पर होगी, सरकार उतनी ही लोकतांत्रिक होगी। इस निगरानी को जब लोग व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वह सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) कहलाता है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है समाज के द्वारा किया जाने वाला अंकेक्षण। पंचायत राज में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। इसलिये मनरेगा कानून में ग्राम सभा को पंचायत में कराये गए कार्यों का अंकेक्षण करने का हक दिया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण क्या है?

पंचायत राज में सामाजिक अंकेक्षण का सीधा सा अर्थ ग्राम सभा द्वारा पंचायत या अन्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और खर्च किये गए पैसों का सत्यापन करना है। इसमें किसी भी संगठन/ संस्था/ कार्यालय द्वारा कराए गये या किए जा रहे प्रत्येक कार्य विशेष के समाप्त होने पर या क्रियान्वयन के दौरान ही उस कार्य से संबंधित सभी पहलुओं व तथ्यों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण का मतलब है कि –

- कार्य ग्राम सभा से प्रस्तावित था अथवा नहीं?
- कार्य सचमुच कराया गया या नहीं?
- कार्य विशेष से जुड़े विभिन्न मदों पर कितना खर्च हुआ?
- कार्य की गुणवत्ता कैसी है?
- लोगों की नजर में कार्य उपयोगी है या नहीं?

आदि का सत्यापन करना ही सामाजिक अंकेक्षण है। दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि किसी ग्राम के विकास या लोक अधिकार से संबंधित किसी मुद्दे के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों पर, ग्राम सभा द्वारा गहन चर्चा करना, गुण-दोषों के आधार पर सुधार हेतु निर्णय लेना ही सामाजिक अंकेक्षण है। विस्तृत अर्थों

में सामाजिक अंकेक्षण 'हमारा पैसा-हमारा हिसाब' की अवधारणा व स्वरूप है। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनता के पैसे के पारदर्शी व गुणवत्ता पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती है एवं कार्य करवाने वाले लोगों की सामाजिक जवाबदेही तय करती है।

सामाजिक अंकेक्षण	
क्या है ?	यह जिम्मेदारी स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह समुदाय को क्रियान्वयन एजेंसी से सवाल पूछने और जवाब मांगने का अधिकार देता है।
किसके द्वारा किया जाता है ?	ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।
किसका ऑडिट किया जाता है ?	इसमें क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराए गए कार्यों का ऑडिट होता हैं।
इसमें क्या होता है ?	मौके पर जाकर किये गये कामों की गुणवत्ता और खर्च किए गए पैसों का दस्तावेज और मौखिक पूछताछ द्वारा सत्यापन किया जाता है। लोगों से पूछकर यह भी पता करते हैं कि कराए गए काम समाज के लिये कितने उपयोगी हैं? समाज को संतोष है या नहीं? सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से प्राप्त निष्कर्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को सौंपा जाता है।
इसके क्या लाभ हैं ?	इसमें कार्यक्रम/योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही तय होती है और संसाधनों पर जनता का हक स्थापित होता है।

सामाजिक अंकेक्षण क्यों ?

सरकार जिस लोकनिधि को समाज के कल्याण के लिए खर्च करती है उसके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम या योजना में लक्षित समूह के अनुभवों के आधार पर गुण-दोषों की समीक्षा करने, सीख के आधार पर आगे की दिशा तय करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एक अच्छी प्रक्रिया है।

- गुण-दोषों का मतलब है कि योजना क्रियान्वयन के दौरान निर्धारित मानदंडों (पात्रता, प्राथमिकता) का पालन हुआ या नहीं
- उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया या नहीं
- पात्र व्यक्तियों को लाभ मिला या नहीं
- किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया गया
- योजना या कार्यक्रम संचालन से समाज के किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान तो नहीं हुआ
- पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ

कई समस्यायें है जिनसे हमारे गांव के लोग परेशान रहते हैं। इसके लिये सामाजिक अंकेक्षण कर जिम्मेवारों से पता लगाना होगा कि आखिर ये समस्यायें क्यों है। क्यों सड़क इतनी जल्दी टूट गई, लोगों को समय पर पेंशन क्यों नहीं मिल रही, स्कूल भवन इतनी जल्दी क्यों टूट गया, इन सबका जवाब मांगना होगा और जिम्मेवारी तय करनी होगी।

निर्माण कार्यों के संदर्भ में उपरोक्त बातें सीधे तौर पर समझी जा सकती है किंतु समाज कल्याण या सामाजिक विकास के लिए दी जा रही सेवाओं के संदर्भ में इसे अलग तरीके से समझना होगा। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लाभ की समय सीमा तय है। यदि सेवाएं समय पर न मिले तो लाभ लेने वाले को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिये, उपस्वास्थ्य केद्र पर डॉक्टर तय समय पर उपस्थित न हो तो लोग इलाज नहीं करा सकेंगे एवं इससे उन्हें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। शिक्षक कक्षाओं में न पढ़ाएं एवं बच्चे लगातार फैल होते रहें तो बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे और उनका भविष्य प्रभावित होगा। शिक्षा के अभाव के कारण वह अपने भोजन के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार एवं अन्य नागरिक व मानवाधिकारों को प्राप्त करने में या तो पीछे रह जाएंगे या वह इन अधिकारों से वंचित रह जाएंगे।

इसी प्रकार यदि आंगनबाड़ी पर बच्चों का नियमित वजन न लिया जाये तो यह पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा बच्चा कमजोर व कुपोषित है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की पहचान नहीं हो सकेगी एवं वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं।

इसी तरह निराश्रित वृद्धजन को दी जाने वाली पेंशन की राशि का भुगतान समय पर न हो तो वृद्ध को भोजन, इलाज जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य व फायदे

विकास की किसी योजना, परियोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना, लोगों की सहभागिता और गुणवत्ता में वृद्धि करना सामाजिक अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अपनाए जाने से कई प्रकार के दूसरे लाभ भी होते हैं।

- पंचायत द्वारा किये गए कार्यों का सत्यापन होता है।
- लोगों की जानकारी व जागरूकता में वृद्धि होती है।
- लोगों में जवाबदेही का एहसास होता है एवं वे जिम्मेदारी के साथ सुधारवादी कदम सुनिश्चित करते हैं।
- समाज के वंचित समूहों को आवाज मिलती है एवं उनका सशक्तिकरण होता है।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नई रणनीतियां बनाना एवं अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है।
- संसाधनों पर समाज का हक स्थापित होता है।
- पारदर्शिता बढ़ती है एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण होता है।

वित्तीय अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण

वित्तीय अंकेक्षण

वित्तीय अंकेक्षण में पैसा नियम कायदे से खर्च हुआ है या नहीं, जितना पैसा स्वीकृत (मंजूर) था उससे अधिक तो खर्च नहीं किया गया, जिसे खर्च करने का अधिकार था उसी के द्वारा खर्च किया गया है या नहीं, जिस काम के लिए पैसा मंजूर था उसी पर खर्च हुआ या नहीं जैसे बिन्दुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण में समाज/ग्राम सभा/हितग्राही के द्वारा क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकर सरकारी/गैर सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे-योजना निर्माण, ग्राम सभा से अनुमोदन, किया गया खर्च, काम की गुणवत्ता, उपयोगिता आदि का सत्यापन एवं गुण-दोषों की समीक्षा की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण गलतियां या कमियां निकालने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह प्रक्रिया समाज को नियम व क्रियान्वयन में हुई चूक के बारे में बताती है व गलतियां सुधारने का मौका देती है। हमारे समाज में तो पहले से कहा जाता रहा है कि "निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, बिन साबुना, निर्मल करे सुभाय।"

वित्तीय अंकेक्षण और सामाजिक अंकेक्षण में अंतर

	वित्तीय अंकेक्षण	सामाजिक अंकेक्षण
किसके द्वारा जानकारी	विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है	समाज /लोगों के द्वारा किया जाता है।
	सीमित लोगों को जानकारी होती है	सभी को जानकारी होती है।
सीमा	प्रक्रिया और नियमों तक सीमित है।	नियमों के साथ कार्यों की उपयोगिता एवं सार्थकता पर केंद्रित है
आधार	केवल दस्तावेजों के आधार पर होता है।	वास्तविकता, गुणवत्ता एवं उपयोगिता के आधार पर होता है।
नियंत्रण	विशेषज्ञों का नियंत्रण होता है	आम लोगों का नियंत्रण होता है
प्रक्रिया	सरकारी प्रक्रिया है	समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया है

विभिन्न योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण के वैधानिक प्रावधान

मनरेगा

- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत ग्राम सभा के गठन और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की निगरानी व वित्तीय संसाधनों एवं व्यय आदि का परीक्षण करने के लिए अधिकृत है।
- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-7(घ) एवं धारा-7ट (लेखा एवं संपरीक्षा) में ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र में किये गए विकास कार्यों से संबंधित लेखा-जोखा की संपरीक्षा व सत्यापन करने का प्रावधान किया गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 17(1), 17(2) व 17(3) में ग्राम सभा द्वारा पंचायत के भीतर प्रारंभ की गई योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 जून 2011 से लागू अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लेखा परीक्षा नियम 2011 की कंण्डिका 4 (1) के परिपालन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के संचालन हेतु मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन किया गया है। इसके लिये 13 दिसम्बर 2013 को प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम 2013 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है -

- धारा 27 में प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दस्तावेजों को सभी लोगों के देखने एवं जानने हेतु खुले तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- धारा 28 (1) में प्रावधान किया गया है कि सभी स्थानीय अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी/निकाय समय-समय पर उचित मूल्य की दुकानों के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। वे पाई गई कमियों को सार्वजनिक कर सकते हैं एवं आवश्यक कार्यवाही भी कर सकते हैं।
- धारा 28 (2) में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार ऐसी स्वतंत्र एजेंसी जिन्हें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संचालन का अनुभव हो, की नियुक्ति कर सामाजिक अंकेक्षण करा सकती है।
- धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि योजना के क्रियान्वयन की देखरेख हेतु निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी विभिन्न अनियमितताओं पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को रिपोर्ट करेगी।

मध्यान्ह भोजन योजना

3 जुलाई 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में मध्यान्ह भोजन योजना में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान किये गये हैं। इसमें सामाजिक अंकेक्षण समन्वय एवं सहजता समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति स्थानीय संस्थाओं से निर्मित होगी।

समिति शाला प्रबंधन समिति एवं इससे लाभान्वित बच्चों के अभिभावकों को सहयोग प्रदान करेगी। समिति सामाजिक अंकेक्षण सहजकर्ताओं, अभिभावकों, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं

चयनित सामाजिक अंकेक्षण प्रेरकों का प्रशिक्षण करेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग एवं मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों का उन्मुखीकरण भी करेगी।

सामाजिक अंकेक्षण सहजकर्ता निम्नलिखित कार्य करेंगे –

- समुदाय के बच्चों, अभिभावकों एवं लक्षित वर्ग के साथ समूह चर्चा। जब स्कूल का ऑडिट किया जा रहा हो, उस दौरान घर–घर संपर्क की प्रक्रिया में भागीदारी।
- अभिभावकों एवं क्रियान्वयन एजेंसी (पीडीएस अभिकर्ता, खाद्य सामग्री के सप्लायर्स, एएनएम, चिकित्सक आदि) के साथ विद्यालय स्तर की बैठकों में भागीदारी। बैठक के दौरान बच्चों एवं अभिभावकों की मध्यान्ह भोजन योजना संबंधी प्रतिक्रियाओं को दर्ज करना।
- सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त मुद्दों को सार्वजनिक करने के लिये स्कूल स्तर की बैठकों का आयोजन करना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वार्षिक जांच एवं सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य प्रतिवर्ष 30 जून तक वार्षिक जांच करेंगे एवं 30 सितम्बर तक सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के अनुश्रवणकर्ता राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की एक चेकलिस्ट बनाकर सलाह देंगे कि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं लाभार्थी नियमित रूप से जिला, जनपद एवं ग्राम स्तर के कार्यालयों में बैठकर योजना के क्रियान्वयन संबंधी फीडबैक लें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण पेयजल मिशन द्वारा समुदाय एवं समुदाय आधारित संगठनों को मांग एवं प्रदाय की जा रही पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी का अधिकार दिया गया है। इन संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक छः माह में सामाजिक अंकेक्षण करें ताकि यह तय किया जा सके कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ पंचायत के द्वारा किये गये काम तय दिशा–निर्देशों के अनुसार हुये हैं अथवा नहीं।

स्वच्छ भारत मिशन

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छता कार्यक्रम को चलाने के लिये एक सहयोगी संस्था रख सकती है। समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं स्वैच्छिक संगठन कार्यक्रम की निगरानी कर सकते हैं। ये स्वच्छता, सफाई एवं उसके रखरखाव हेतु व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन को जानने एवं समझने के लिये मूल्यांकन एवं सर्वे भी कर सकते हैं। सहयोगी संगठन कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण भी कर सकते हैं।

समन्वित बाल विकास सेवायें

समन्वित बाल विकास सेवाओं का लगातार प्रयास है कि योजना की संरचना में आवश्यक बदलाव कर योजना को मजबूत किया जाये तथा गुणवत्ता में सुधार लाया जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार के स्तर से आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर तक 5– स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा व्यवस्था बनाई गई है।

निगरानी व्यवस्था का पहला कदम आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर मॉनीटरिंग एण्ड सपोर्ट कमेटी के माध्यम से निगरानी करने का प्रावधान है। इस समिति में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ता, महिला समूह सदस्य, समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इस समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयोजक की भूमिका में काम करती है।

अभ्यास-1

1. सामाजिक अंकेक्षण से क्या समझते हैं अपने शब्दों में वर्णन कीजिये ?

.....
.....
.....
.....
.....

2. किन-किन सरकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है?

.....
.....
.....
.....
.....

3. सामाजिक अंकेक्षण के क्या फायदे हो सकते हैं अपने शब्दों में लिखें?

.....
.....
.....
.....
.....

4. परंपरागत वित्तीय ऑडिट और सामाजिक ऑडिट में मुख्य अंतर क्या है ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

सामाजिक अंकेक्षण का दायरा

सामाजिक अंकेक्षण में केवल शासन, व्यवस्था या संस्थाओं का अंकेक्षण शामिल नहीं है बल्कि इसमें स्थानीय निकाय/स्थानीय सरकार व लोक कल्याण के लिए निर्मित पंचायत व्यवस्था, गैर सरकारी संस्था और समुदाय के अपने सामाजिक दायित्व, प्रतिबद्धता एवं भूमिका का परीक्षण भी शामिल है।

जनहित की योजनाओं के संबंध में हमें गांव और गांव की व्यवस्था को व्यापक दृष्किोण से व्यवहारिक स्वरूप में देखने की जरूरत है। कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें समुदाय की सहभागिता न हो, कार्यक्रम-योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी न हो और विकास का नजरिया भी मानवीय न हो।

सामाजिक अंकेक्षण समुदाय को इस बात का अहसास कराता है कि व्यवस्था में उन्हें शामिल होना चाहिए क्योंकि यह व्यस्था उनकी है, उन्हें ही चलानी है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में मोटे तौर पर इन मूल्यों पर नजर रखते हैं कि क्या –

- सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है?
- संबंधित विभागों की जवाबदेही तय हुई है?
- किये गये कार्य, खर्च, गुणवत्ता आदि पर समुदाय की जानकारी एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है?
- आम लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिला है और क्या वंचित वर्ग भी अपनी बात रख पाते हैं?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामाजिक अंकेक्षण

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण को सार्वजनिक मामलों में निम्नलिखित मूलभूत मानकों की स्थापना और प्रोत्साहन करने वाले साधन के रूप में देखा जा सकता है।

पारदर्शिता : प्रशासन व निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और सरकार को इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराया जाए कि उसे अपनी पहल पर लोगों को सभी आवश्यक सूचनाएं बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध करानी होगी। किसी भी कार्य से संबंधित सूचनाएं स्थानीय भाषा में निर्धारित प्रारूप में तैयार कर कार्यस्थल पर और ग्राम पंचायत में किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपकायी जाएंगी ताकि उसे कोई भी व्यक्ति देख सके।

सहभागिता : सभी प्रभावित व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वह निर्णय और स्वीकृति की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें।

परामर्श और सहमति : जिन इक्का-दुक्का मामलों में किसी व्यवस्था की वजह से विकल्प पहले ही निर्धारित कर लिये गए हैं वहां भी प्रभावित व्यक्तियों को सहमति प्रदान करने का अधिकार जरूर दिया जाएगा। यह सहमति परिस्थिति के अनुसार समूह के रूप में या व्यक्तिगत स्तर पर दी जा सकती है।

उत्तरदायित्व : निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी होगी कि वे संबंधित एवं प्रभावित व्यक्तियों की तरफ से किसी भी गतिविधि या सेवा में कमी के बारे में उठाए गए सवालों का जवाब और स्पष्टीकरण देंगे।

सुनवाई : ऐसे कायदे-कानूनों का समूह जिनके जरिये सामाजिक अंकेक्षण तथा सार्वजनिक जांच-पड़ताल के निष्कर्षों को अधिकृत स्वीकृति प्रदान की जाएगी और उन्हें संबंधित शिकायत के जवाब में की गई कार्यवाही की जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

सामाजिक अंकेक्षण के चरण

सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता लाने में सामाजिक अंकेक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए पूरी प्रक्रिया को नियोजित तरीके से पूरी गंभीरता से चलाना आवश्यक होता है। जहां तक ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की बात है वह 4 से 8 घंटे में पूरी हो सकती है किंतु ग्राम सभा के आयोजन से पहले बहुत सारी तैयारी करना होता है। यह कार्य ठीक तरह पूरा न किया जाये या तैयारी आधी अधूरी रह जाये तो ग्राम सभा में गहन समीक्षा नहीं हो पायेगी और निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। इसलिए सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक चरण का विशिष्ट महत्व है एवं प्रत्येक चरण की तैयारी पूरी करने में समय लगाना होता है। सामाजिक अंकेक्षण के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं –

● ग्राम सभा जागरूकता

सामाजिक निगरानी का महत्व एवं पंचायत राज अधिनियम में ग्राम सभा की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिये मजरे/वार्ड/टोलों/फलियों में ग्राम सभा सदस्यों के साथ बैठक करके जानकारी दी जा सकती है। नुक्कड़–नाटक, वीडियो, फिल्म या क्षेत्रीय भाषा में तैयार गीतों को उपयोग में लाया जा सकता है। ग्राम सभा सदस्यों को जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि ग्राम सभा सदस्य सामाजिक अंकेक्षण के महत्व को जानें और वे ग्राम सभा में जाकर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये स्वयं प्रयास करें।

जादू के खेल द्वारा भीड़ एकत्र कर सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जागरूकता

● ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन

इस प्रक्रिया के लिये ग्राम संपरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। ग्राम सभा द्वारा गठित यह समिति पूरे कार्यों का सत्यापन कर उसकी रिपोर्ट ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेगी। यदि पहले से ग्राम संपरीक्षा समिति न बनी हो तो सबसे पहले ग्राम सभा बुलाकर मनरेगा में सर्वाधिक काम करने वाले महिला/पुरूष मजदूरों एवं ग्राम के सक्रिय सदस्यों का चयन कर समिति बनाना होगा। समिति में एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। समिति सदस्यों का चयन ग्राम सभा में सर्वसम्मति से किया जाना चाहिये।

● समिति सदस्यों की क्षमता वृद्धि करना

मनरेगा में प्रत्येक गांव में ग्राम सतर्कता व निगरानी समिति और ग्राम संपरीक्षा समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। समिति के सदस्यों को अपने कार्यों एवं जिम्मेवारियों से जुड़ी कितनी जानकारी एवं रूचि है इसे समझा जाये। सदस्यों की जानकारी का स्तर और रूचि समझने के बाद उनका समिति की जिम्मेवारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण किया जाये। प्रशिक्षण में मुख्यतः समिति की भूमिका, जवाबदारी व योजना से जुड़े विभिन्न प्रावधान, योजना के दस्तावेजों का परिचय एवं उपयोग आदि के बारे में समझ बनानी होगी।

- ☐ संपरीक्षा समिति के सदस्यों से उनकी भूमिका पर सवाल करें एवं उनकी जानकारियों को व्यवस्थित करते हुए वे सभी शेष जानकारी दें जो वह नहीं बता पाये।
- ☐ सदस्यों को दस्तावेजों की जानकारी और उनकी परख करने के तरीके एवं जानकारियों को एकजाई व व्यवस्थित करने के तरीके बताएं।
- ☐ कार्य स्थल पर जाकर किये गये कार्यों का निरीक्षण कैसे करें इससे संबधित जानकारी दें।

- मनरेगा योजना के मस्टर रोल, जॉब कार्ड, पासबुक, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति और माप पुस्तिका के मिलान / सत्यापन के महत्व को समझाएं और सभी दस्तावेजों से परिचित कराएं।
- क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका एवं दायित्व को स्पष्ट करें।
- जानकारी हासिल करने, जानकारियों का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर अपना प्रतिवेदन ('रिपोर्ट') तैयार करने व ग्राम सभा में प्रस्तुति के महत्व को बताएं। प्रतिवेदन बनाने के कुछ उदाहरण देकर अधिक स्पष्टता बनाई जा सकती है। जैसे–

  ✍ अगर समिति को कार्यों के सत्यापन के दौरान ग्राम पंचायत से वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई हो तो उसे समिति अपनी रिपोर्ट में दर्ज करे।

  ✍ अगर पिछले छः माहों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराये गये तो समिति उसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज करे।

  ✍ अगर कुछ मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान नहीं मिला तो उन मजदूरों के नाम, किये गये काम के दिन एवं मजदूरी की राशि का विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाये।

  ✍ अगर किन्ही मस्टरों में तय दर से कम मजदूरी दी गई हो तो ऐसे मस्टरों की संख्या, तिथि एवं दर्ज मजदूरों के साथ दी गई मजदूरी की दर का विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाये।

  ✍ गांव में जो सीसी सड़क बनाई गई उसकी स्वीकृति 200 मीटर की थी लेकिन वास्तविकता में वह 180 मीटर ही पाई गई तो रिपोर्ट में उस काम का विवरण, लागत, मात्रा एवं भौतिक रूप से मौजूद मात्रा का विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाये।

  ✍ गांव में यदि कुछ कूप ऐसे हैं जो स्वीकृत गहराई या चौड़ाई की अपेक्षा भौतिक रूप से कम गहरे एवं कम चौड़े हैं तो रिपोर्ट में ऐसे कूपों का विवरण दर्ज किया जाये।

  ✍ अगर ऐसा कोई परिवार मिलता है जो कि पिछले वर्षों से लिखित में कपिलधारा कूप की मांग कर रहा है इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है लेकिन उसके खेत में आज तक कूप स्वीकृत नहीं हुआ है तो रिपोर्ट में उस परिवार का नाम, मांग आदि के बारे में जानकारी दर्ज की जाये।

  ✍ यदि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 वर्ष पूर्व ही स्वीकृत हो जानी चाहिये थी लेकिन उन्हें आज तक भी पेंशन नहीं दी गई। ऐसे परिवारों के नाम, उनकी पात्रता आदि की जानकारी रिपोर्ट में दर्ज की जाये।

  ✍ अगर गांव में आवास निर्माण के किन्हीं लाभार्थियों को पिछले कई माह से दूसरी किस्त नहीं दी गई तो रिपोर्ट में ऐसे परिवारों के नाम, पहली किस्त की राशि एवं तारीख आदि का विवरण दर्ज किया जाये।

  ✍ अगर गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि बहुत गरीब हैं एवं उनके मकान भी बहुत कमजोर हैं और उनका कहना हैं कि उनके द्वारा कई बार ग्राम पंचायत से आवास की मांग की गई लेकिन उनका नाम आवास की पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया हो तो ऐसे परिवारों के नाम, उनकी मांग संबंधी जानकारी आदि का विवरण भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाये।

ऐसे सभी अनुभवों को ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज करना चाहिये जिससे ग्राम सभा को इस रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण से तय

प्रावधानों के अनुसार किये गये काम एवं दस्तावेजों में दर्ज जानकारियों के प्रक्रिया गत अंतर एवं की गई अनियमितताओं के सार को समझाया जा सके।

● जानकारियां इकठ्ठा करना

सामाजिक अंकेक्षण हेतु, पंचायत द्वारा तय समयावधि में कराए गए, सभी कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी जानकारियों का संग्रहण करना पड़ेगा। अतः ग्राम संपरीक्षा समिति को सामाजिक अंकेक्षण के लिये तय की गई ग्राम सभा दिनांक से, कम से कम 15 दिन पूर्व पंचायत द्वारा कार्यों से संबंधित सभी दस्तावेज मिल जाना चाहिये, ताकि समिति समय से अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सके। संबंधित जानकारियों को देने के लिये ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिले की जिम्मेवारियां तय की गई है। जिले के कलेक्टर संबंधित समितियों को जानकारी उपलब्ध कराने में भूमिका निभायेंगे। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय वेबसाइटों से भी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। सूचना के अधिकार का उपयोग करके भी सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सूचना के अधिकार के तहत मनरेगा की जानकारी 7 दिनों में दिये जाने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत मुख्य रूप से एकत्रित की जाने वाली जानकारियों का विवरण इस प्रकार है –

- सेल्फ आफ प्रोजेक्ट (एस.ओ.पी.) की प्रति
- ग्राम सभा से अनुमोदन का प्रस्ताव
- प्रत्येक कार्य का एस्टीमेट (प्राक्कलन)
- तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति
- कार्य प्रारंभ आदेश
- मस्टर रोल
- खसरा–नक्शा
- माप पुस्तिका
- कैशबुक व चेक रजिस्टर
- उपयोगिता प्रमाण पत्र
- कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
- वेज लिस्ट एवं एफटीओ
- हितग्राहियों की सूची
- बिल –व्हाउचर
- स्टॉक रजिस्टर

मनरेगा के अलावा यदि अन्य योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाना है तो इन कार्यों की गुणवत्ता एवं सार्थकता से जुड़ी जानकारियों को भी एकत्रित करना होगा। उदाहरण के तौर पर –

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है तो योजना के हितग्राहियों की सूची एवं पिछले 6 माह में वितरित पेंशन की माहवार जानकारी एकत्र करें।
- मध्यान्ह भोजन के संबंध में स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या एवं पिछले माहों में मध्यान्ह भोजन के तहत दिये गये भोजन एवं उस पर किये गये खर्च का विवरण एकत्र करें।
- उचित मूल्य की दुकान के संबंध में अलग–अलग राशन कार्डों की संख्या, उनकी पात्रता एवं पिछले छः माह में वितरित खाद्यान्न का माहवार विवरण, तौल मशीन की जांच कर जानकारी एकत्र करें।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में निर्मित किये गये शौचालयों का हितग्राही वार विवरण, शौचालयों के पूर्ण–अपूर्ण की स्थिति, शौचालयों के उपयोग की स्थिति,

अगले माहों में बनने वाले शौचालयों की जानकारी एकत्र करें।

● जानकारियों का एकजाईकरण

विभिन्न योजनाओं के द्वारा किये गये कार्यों की कार्य वार/गतिविधि वार जानकारियों का एकजाईकरण किया जा सकता है। साथ ही कार्य विशेष में लगाए गए कुशल व अकुशल मजदूरों को व्यक्तिगत तौर पर पूरे काम में कितने दिन रोजगार मिला एवं कितने पैसे का भुगतान किया गया, आदि जानकारियों को कार्य वार एकजाई करना चाहिए। एकजाईकरण से परिवार वार/व्यक्ति वार लाभ वितरण की स्थिति का विश्लेषण करना आसान होगा एवं किस काम में कितनी और क्या-क्या सामग्री लगी आदि के बारे में आसानी से समझा जा सकेगा। मनरेगा पोर्टल पर ऑनलाईन प्रपत्रों में जानकारियां पहले से एकजाई की गई हैं। जिन्हें इस लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है-

http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/SocialAudit/SA_LoginReport.aspx?id=17

मनरेगा के तहत तय प्रपत्र मुख्यतः इस प्रकार हो सकते हैं -

प्रपत्र-1 - इस प्रपत्र से ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड अर्थात जॉबकार्ड से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रपत्र-2ए -इस प्रपत्र के माध्यम से किसी विशेष समयकाल में ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है।

प्रपत्र-2बी -इस प्रपत्र के माध्यम से विभिन्न कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री में किये गये खर्चों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है।

प्रपत्र-3 - इस प्रपत्र से एक-एक मजदूर द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों में मजदूरी, कार्य के दिनों एवं भुगतान राशि का विस्तृत विवरण मिलता है।

अन्य योजनाओं से जुडे प्रपत्र

आवास निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी एकत्रित करने के प्रपत्र

स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी एकत्रित करने के प्रपत्र

सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी एकत्रित करने के प्रपत्र

समन्वित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी एकत्रित करने के प्रपत्र

शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी एकत्रित करने के प्रपत्र

● जानकारियों का सत्यापन

यह काम दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन एवं मौखिक सत्यापन अर्थात तीन प्रकार से किया जाता है।

दस्तावेज सत्यापन

मनरेगा प्रावधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किये जाने वाले समस्त मूल दस्तावेजों का एम.आई.एस. प्रपत्रों में दर्ज जानकारियों से मिलान करना। यदि दस्तावेजों से मिलान करने में कहीं अंतर हो तो उसे प्रतिवेदन में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज किया जाये तथा संबंधित प्रमाणों को भी संकलित किया जाए।

भौतिक सत्यापन

भौतिक सत्यापन से सीधा मतलब इस बात का सत्यापन करना कि जो काम कागजों में दर्ज हैं क्या वे गांव में उसी तय स्थान पर, उसी माप और

गुणवत्ता के अनुसार कराए गये हैं अथवा नहीं। इसके लिये किये गये कार्यों को कार्यस्थल पर जाकर सत्यापित करना होगा। भौतिक सत्यापन में ये देखना होगा कि जो कार्य जितनी मात्रा में दस्तावेजों में दर्ज है, भौतिक रूप से भी उतनी ही मात्रा में मौजूद है या कागज में दर्ज जानकारी एवं मौके पर किये गये कार्य की मात्रा में अंतर है। दस्तावेजों में दर्ज मात्रा जैसे- कार्य की संख्या, लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि और मौके पर किये गये कार्य की संख्या, ऊंचाई, लम्बाई एवं चौड़ाई में क्या अंतर है इसे समझना होगा। जिन हितग्राहियों के खेतों में योजना से कार्य किया जाना बताया गया है वह काम उनके खेत में किया गया है अथवा नहीं। मनरेगा के अलावा अन्य योजनाओं में यह भी देखा जाये कि जिन परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है वह बना या नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में भी यह जानना आवश्यक है कि जिन-जिन व्यक्तियों के नाम से पेंशन वितरित करना दिखाया जा रहा है वह गांव में

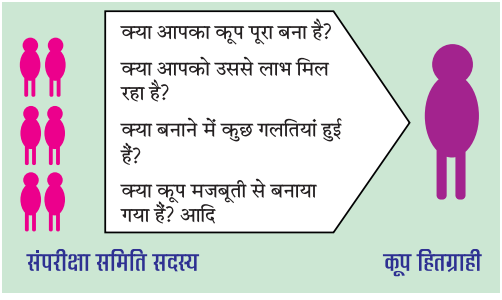

हैं अथवा नहीं। भौतिक सत्यापन में यह भी देखना आवश्यक है कि किये गये काम की गुणवत्ता कैसी है।

मौखिक सत्यापन

मौखिक सत्यापन का सीधा अर्थ है कि कागजों में दर्ज कामों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के साथ कार्य की मात्रा, काम व हितग्राही चयन के आधार एवं किये गये काम के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मस्टर में दर्ज मजदूरों के घर-घर जाकर, उनके पास उपलब्ध दस्तावेज जैसे मजदूरों की पासबुक, जाबकार्ड, वेतन पर्ची,

आवेदन की पावती आदि से मिलान किया जाना चाहिये एवं मजदूरों से पूछा जाना चाहिये कि मस्टर में जितने दिन काम करना बताया गया है और जितने पैसे भुगतान करने की बात कही गई है वह उन्हें मिला है अथवा नहीं। योजनाओं के हितग्राही के अनुभवों को सुना जाना चाहिये।

ठीक इसी प्रकार योजना के हितग्राहियों की सूची के आधार पर हितग्राहियों के घर जाकर दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के आधार पर हितग्राही से चर्चा करें और समझने का प्रयास करें कि दस्तावेजों में जो जानकारियां दर्ज है उतने ही मजदूरों द्वारा काम किया गया है अथवा नहीं, जितनी सामग्री लगना दिखाया गया है उतनी ही सामग्री कार्य में लगी है अथवा नहीं, सामग्री किस भाव में खरीदी गई, जितनी मात्रा में काम होना दस्तावेजों में दर्ज है भौतिक रूप से उतनी ही मात्रा में काम हुआ है या नहीं। कार्य की स्वीकृत लागत कितनी थी। कार्य की गुणवत्ता आदि के बारे में भी हितग्राही की प्रतिक्रिया ली जाये।

मनरेगा योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों में मशीनों का उपयोग और ठेके से काम करवाना प्रतिबंधित है। अतः इस संबंध में भी जानकारी ली जानी चाहिये कि कराए गए किसी काम में मशीन का उपयोग तो नहीं हुआ है अथवा काम ठेकेदार द्वारा तो नहीं कराया गया है। यदि किसी प्रकार का विरोधाभास है तो हितग्राही को लिखित में शिकायत देने एवं ग्राम सभा में आकर शिकायत करने को कहा जाये।

सामुदायिक कार्यों की स्थिति में जिस मोहल्ले/टोले में काम हुआ है वहां के समुदाय के साथ सामूहिक रूप से बैठकर किये गये कार्य की गुणवत्ता एवं दस्तावेजों में दर्ज विभिन्न जानकारियों के बारे में समुदाय की प्रतिक्रिया सुनी जाये। किसी भी विरोधाभास की स्थिति में लोगों से लिखित शिकायत देने एवं ग्राम सभा में आकर शिकायत दर्ज कराने की चर्चा की जाये।

मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड होना जरूरी है। इसलिये इस संबंध में जानकारी जुटानी चाहिये कि जो परिवार अकुशल श्रमिक के रूप में काम करने को इच्छुक हैं, सभी के पास जॉब कार्ड हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि उसका या उसके परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी सदस्य का नाम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड में नहीं जोड़ा गया अथवा जॉब कार्ड बनाकर नहीं दिया गया, जॉब कार्ड में मजदूरी के दिवसों की संख्या दर्ज नहीं की जा रही है, ऐसी सभी शिकायतों को ग्राम सभा में रखा जाना चाहिये।

● सारांश / गोशवारा तैयार करना

विभिन्न दस्तावेजों की जानकारी और मजदूरों/हितभागियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विषय/ मुद्दा आधारित सारांश, प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए, जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जा सके। गोशवारा ड्राईंग सीट या बैनर पर तैयार किया जा सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण सत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा तैयार किये गये सारांश/गोशवारा की प्रतिलिपि ग्राम सभा के आयोजन से पहले सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित कर दी जाये। ताकि प्रदर्शित जानकारी को पढ़कर लोग व्यक्तिगत विश्लेषण करते हुए अपने सवाल तैयार कर सकेंगे एवं जवाब पाने के लिए ग्राम सभा में भी उपस्थित होंगे।

ग्राम सभा में प्रस्तुत करने हेतु ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन

गांव की विकास कार्य योजना / ग्राम सभा से जुड़े विषय -

विषय	हां/नहीं	अंतर से जुड़े विवरण को लिखें
ग्राम की वार्षिक योजना/ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनी है		
किये गये सभी कार्य ग्राम सभा से अनुमोदित हैं		
ग्राम सभा द्वारा तय प्राथमिकता के अनुसार ही काम किये गये हैं		
कोई ऐसा कार्य है जिसका प्रस्तावित स्थान एवं किये गये कार्य के स्थान में अंतर है		
कोई ऐसा हितग्राही है जिसको लाभ दिये जाने संबंधी अनुमोदन ग्राम सभा में है लेकिन उसे लाभ नहीं दिया गया है		

जाबकार्ड से जुड़े मुद्दे

मुखिया का नाम	परिवार में सदस्यों की संख्या	समस्या–जाबकार्ड नहीं बनना, जाबकार्ड बनने के बाद भी नहीं मिलना, जाबकार्ड में गलतियाँ आदि से जुड़े सभी विषय यहाँ पर दर्ज करें

काम नहीं मिलने, मजदूरी नहीं मिलने, कम मजदूरी या मजदूरी से जुड़े अन्य विषय

मजदूरों के नाम	काम का नाम जिसमें मजदूरी की गई	मस्टर संख्या	काम के दिन	काम नहीं मिलना, मजदूरी नहीं मिलना, कम मजदूरी मिलना एवं मजदूरों के अधिकार आदि से जुड़े सभी प्रकार के विषय/ मुद्दे यदि हैं तो यहां विस्तृत विवरण दें

कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता से जुड़े विषय

कार्य का नाम एवं स्थान	हितग्राही मूलक/ सामुदायिक कार्य	हितग्राही का नाम	कार्य की मात्रा, गुणवत्ता, दर्ज मजदूर एवं सामग्री पर हितग्राही या समुदाय की प्रतिक्रिया के अनुसार अंतर का विस्तृत विवरण दर्ज करें

हितग्राही मूलक आवास, पेंशन या अन्य योजनाओं से जुड़े विषय

हितग्राही / परिवार का विवरण	योजना का नाम	हितग्राही के द्वारा योजना संबंधी दर्ज कराई गई समस्या का विवरण दर्ज करें

● ग्राम सभा बैठक एवं रिपोर्ट की प्रस्तुति

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा (6) में निर्धारित प्रक्रियानुसार, ग्राम सभा का आयोजन कर, हितभागियों की उपस्थिति में, ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को, सार्वजनिक चर्चा के लिए बिंदुवार प्रस्तुत करना चाहिये। लोगों की आपत्ति व शिकायतों को ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जावेगा एवं निराकरण के लिए ग्राम सभा द्वारा चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा का आयोजन एक महत्वपूर्ण चरण है। अच्छी तरह ग्राम सभा की बैठक करने का मतलब है कि ग्राम सभा के सदस्य चर्चा में खुलकर अपने विचार रखें, निर्णय तक पहुँचने में आवश्यक सुझाव दें। इसके लिये निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है –

- ग्राम सभा की बैठक से पूर्व ग्राम संपरीक्षा समिति गांव वालों के साथ बैठकर प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करे एवं विश्लेषण का गोशवारा/सारांश तैयार करे जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।
- विश्लेषण से निकल रहे मुद्दों को ग्राम संपरीक्षा समिति अच्छी तरह समझ ले और प्रभावित लोगों से इस संबंध में बातचीत कर उन्हें अच्छी तरह सूचित करे ताकि वे स्वयं ग्राम सभा में आकर अपनी बात को रख सकें।
- ग्राम सभा की बैठक से पहले गांव के सार्वजनिक स्थलों पर ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा तैयार किये गये सारांशों को चस्पा किया जाए जिससे ग्राम सभा में आने के पूर्व ही ग्राम सभा के सदस्य उसे पढ़ लें। इससे वे जरूरी तैयारी कर ग्राम सभा की बैठक में अपनी सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिये संबंधित योजनाओं

के क्रियान्वयन से जुड़े हितग्राहियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे- इंजीनियर, वन विभाग का अमला, जनपद के अधिकारी, जनपद एवं जिला पंचायत के क्षेत्रीय सदस्य, विधायक एवं सांसद को बैठक में उपस्थित होने हेतु लिखित में सूचित करना चाहिये।

● ग्राम सभा की बैठक बुलाने का तरीका

तरीका-1

पंचायत प्रतिनिधि एवं सचिव सामान्य ग्राम सभा स्वयं बुला सकते हैं। मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा बुलाने की जिम्मेवारी सरपंच एवं सचिव की है एवं ऐसा करना अनिवार्य है। म0प्र0 सरकार द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी कर सामाजिक अंकेक्षण हेतु सभी ग्रामों में ग्राम सभाओं के आयोजन संबंधी केलेण्डर बनाने एवं उसे जिले के कलेक्टर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों तक पहुँचाने की जिम्मेवारी म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को दी गई है। ऐसी स्थिति में म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति की जिम्मेवारी है कि वह सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभाओं के आयोजन का केलेण्डर तैयार कर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाये और तय की गई तिथियों में ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभाओं की बैठक बुलाकर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना सुनिश्चित करे।

तरीका-2

आवश्यक समझे जाने पर ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा बुला सकते हैं। ग्राम के लोग चाहें तो सामाजिक अंकेक्षण का एजेण्डा तय कर ग्राम सभा बुलाने की कार्यवाही कर सकते हैं। इस संबंध में म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 में विशेष ग्राम सभा बुलाने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत् ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक या 50 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो की लिखित मांग पर 7 दिन में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। ऐसी ग्राम सभा बुलाने के लिये ग्राम पंचायत का सचिव जिम्मेवार होगा।

जब ऐसी जरूरत हो, तब ग्राम सभा के सदस्य चर्चा के विषय, ग्राम सभा का स्थान, तिथि आदि को स्पष्ट रूप से लिखकर, 10 प्रतिशत से अधिक ग्राम सभा सदस्य मांग-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे एवं ग्राम सभा बुलाने हेतु मांगपत्र ग्राम पंचायत के सचिव को सौंपेंगे। ध्यान रखें कि दिये गये मांग-पत्र की पावती भी लें। यदि ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा आयोजन संबंधी मांग-पत्र लेने से मना करे तो ऐसा आवेदन ग्राम पंचायत के सरपंच को देकर पावती प्राप्त करें। यदि ग्राम पंचायत के सचिव या सरंपच दोनों ही आवेदन लेने से मना करते हैं तो एसडीएम को मांग-पत्र देकर पावती लें। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार जिले के कलेक्टर लोगों की मांग पर ग्राम सभा के आयोजन की भूमिका निभायेंगे।

● ग्राम सभा कार्यवाही एवं सामाजिक अंकेक्षण

ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति देखें। यह देखें कि क्या ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक सदस्य या "कोरम" के बराबर सदस्य ग्राम सभा में उपस्थित हो चुके हैं। यदि कोरम पूरा हो तो कार्यवाही को नीचे के क्रम अनुसार आगे बढ़ायें।

कोरम पूरा होने के बाद ग्राम सभा के लिये अध्यक्ष का चुनाव करायें। सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित इस ग्राम सभा में सरपंच या अन्य कोई पंचायत प्रतिनिधि को छोड़कर, किसी ग्राम सभा सदस्य को सर्वसम्मति से चुनकर अध्यक्ष बनाया जाये।

नोट– अनुसूचित क्षेत्र, जहां पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 लागू होता है, वहां भी ग्राम सभा की अध्यक्षता चुने हुये प्रतिनिधि नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनरेगा के प्रावधान के अनुसार सभी क्षेत्रों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत प्रतिनिधि नहीं करेंगे एवं ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही लिखने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत के सचिव को नहीं सौंपी जायेगी। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जावेगा।

- ग्राम सभा के दिन, ग्राम सभा आयोजन के समय से पूर्व, ग्राम सभा स्थल पर क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा बैनर/ ड्राइंग पेपर पर चस्पा कर दें ताकि सभी सदस्य उसे आसानी से पढ़ सकें।
- ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा तैयार सारांश को भी बैनर/ड्राइंगशीट पर चस्पा कर दें।
- ग्राम सभा के अध्यक्ष के एक ओर ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को बैठायें तथा दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को बैठायें।
- अब अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में चर्चा का एजेण्डा पढ़कर सुनायें एवं कार्यवाही प्रारंभ करें।
- पूर्व में किये गये सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर पालन प्रतिवेदन पढ़कर सुनायें एवं चर्चा का मौका दें। चर्चा के अनुसार उसे कार्यवाही में दर्ज करें।
- ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा पहले से तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत करायें।
- प्रस्तुति के बाद ग्राम सभा सदस्यों को अपने अनुभव सुनाने एवं अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका दें।
- यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज देखना चाहे तो उसे दिखवायें।
- ग्राम सभा की कार्यवाही को चर्चा के अनुसार पूरे विवरण सहित प्रत्येक विषय पर लिये गये निर्णयों को सिलसिलेवार लिखवाते रहें। लोगों की शिकायत/ आपत्तियों पर चर्चा एवं निर्णयों को भी ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करें।
- ग्राम सभा की समाप्ति से पहले पूरी कार्यवाही को पढ़कर सभी सदस्यों को सुनायें।
- ग्राम सभा कार्यवाही 2 प्रतियों में बनायें एवं एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी को अवश्य प्रेषित करें।

ध्यान दें

1. ग्राम सभा सदस्यों के देखने के लिये पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं के सभी दस्तावेज ग्राम सभा के सामने रखे जाना चाहिये।
2. सामाजिक अंकेक्षण की अवधि में किये गये कामकाज का सारांश चार्ट पेपर या बैनर/फ्लैक्स पर तैयार कर ग्राम सभा स्थल पर प्रदर्शित किया जाये।
3. कोरम के अभाव में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही नहीं की जावेगी बल्कि बैठक स्थगित कर दी जावेगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि कुछ देर बाद पुनः ग्राम सभा का आयोजन कर ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की शिकायतों एवं आपत्तियों को दर्ज किया जाये।
4. ग्राम सभा में सभी जानकारियां जोर-जोर से पढ़कर सुनाई जाएंगी। ग्राम सभा के सदस्यों को पंचायत प्रतिनिधियों और योजना के अधिकारियों से सवाल पूछने, जानकारियां हांसिल करने, खर्चों का सत्यापन और तस्दीक करने, अपने अधिकारों की पड़ताल करने, जिन कामों का चुनाव किया गया उनके गुण-दोषों के बारे में चर्चा करने तथा काम की गुणवत्ता व कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के व्यवहार का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने का मौका दिया जायेगा।
5. कोशिश यह होनी चाहिये की अधिकांश मुद्दों पर सुधारात्मक कार्यवाही के निर्णय ग्राम सभा में ही लिये जाएं। यदि कोई ऐसा गम्भीर मुद्दा है जिस पर ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ है तो ग्राम सभा ऐसे मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई जनपद स्तरीय जनसुनवाई में कराने के लिये अनुमोदन करेगी।
6. सभी बिंदुओं पर चर्चा समाप्त होने के बाद, रजिस्टर में लिखी गई ग्राम सभा की कार्यवाही ग्राम सभा को पढ़कर सुनायी जाये एवं कार्यवाही के अंत में ग्राम सभा अध्यक्ष एवं कार्यवाही लेखक के हस्ताक्षर करायें।
7. अध्यक्ष एवं कार्यवाही लेखक के हस्ताक्षर के बाद ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में कराये जायें।

• सामाजिक अंकेक्षण / ग्राम सभा के मुद्दों पर कार्यवाही

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं से जुड़े विषय रखे जाते हैं। लोगों के द्वारा उठाये गये विषय, उन विषयों पर चर्चा और लिये गये निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या कार्यवाही रजिस्टर में लिख जाने मात्र से सुधार हो पायेगा। इसके लिये आवश्यक है कि ग्राम पंचायत के साथ ही अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों की जिम्मेवारी है कि वे लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करें। मनरेगा के प्रावधान के तहत जिले के कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हैं।

जनसुनवाई

सामाजिक अंकेक्षण का बड़ा उद्देश्य है कि लोगों के नजरिये से विकास कार्यों के क्रियान्वयन के गुण दोषों को समझा जा सके एवं कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक पहल की जा सके।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित ग्राम सभा में उठाये गये विभिन्न मुद्दों/ समस्याओं पर ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही करने की जिम्मेवारी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि संबंधित एजेंसी के द्वारा लोगों की समस्याओं को तय समय पर हल नहीं किया जाये ऐसी स्थिति में लोगों की समस्यायें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी और सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी कमी को दूर करने के लिये मध्यप्रदेश में एक जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभायें संपन्न होने के बाद जनपद स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन करने का प्रावधान किया गया है जिसकी तिथि पहले से निर्धारित कर ली जाती है और ग्राम सभाओं के दौरान लोगों को जनसुनवाई की तिथि एवं स्थान की सूचना भी देना चाहिये ताकि लोग जनसुनवाई में शामिल हो सकें एवं अपनी उन समस्याओं को पुनः जिम्मेवार अधिकारियों के सामने रख सकें जिन समस्याओं पर एजेंसी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई।

जनसुनवाई पैनल का गठन

मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा उस पर निर्णय सुनाने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पैनल का गठन, जिसमें निम्न लोग शामिल रहेंगे :

- जिला कलेक्टर पैनल के अध्यक्ष रहेंगे, इनकी अनुपस्थिति में एस.डी.एम. द्वारा पैनल की अध्यक्षता की जावेगी।
- परिषद द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु पदस्थ जिला लोकपाल–मनरेगा
- तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा मनरेगा के यंत्री में से कोई एक
- सिविल सोसायटी प्रतिनिधि कम से कम एक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

जनसुनवाई और उसके बाद

- जूरी मेम्बर के समक्ष जनसुनवाई में रखे जाने वाले सभी मुद्दों की ग्राम पंचायत वार फाइल तैयार करें। बेहतर होगा कि जनसुनवाई पेनल में शामिल प्रत्येक सदस्य के पास मुद्दे से संबंधित पूर्ण विवरण की कॉपी उपलब्ध हो।
- मुद्दों से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों का पूर्ण विवरण, हर एक मुद्दे के साथ संलग्न किया जाये।
- समुदाय तथा मुद्दों से पीड़ित व्यक्तियों की भी पूर्ण विवरण एवं तथ्यों के साथ मामले को जूरी समक्ष रखने की तैयारी होनी चाहिये।
- जूरी मेम्बर मुद्दे की सुनवाई कर उस पर अपना निर्णय सुना सकें इसके लिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मुद्दे से जुड़े सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ-साथ आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति या समूह जनसुनवाई में उपस्थित रहें।
- जनसुनवाई में रखे गये सभी मुद्दे, ग्राम सभा द्वारा मुद्दे पर कार्यवाही हेतु अनुशंसित सुझाव और जूरी द्वारा दिये गये निर्णयों के मिनिट्स तैयार किये जायें। इन मिनिट्स पर सभी जूरी मेम्बर के हस्ताक्षर लिये जायें।
- मिनिट्स बिल्कुल स्पष्ट लिखे गये हों, ताकि कार्रवाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये मिनिट्स मुद्दों पर क्या कार्रवाई की गई इसके आकलन में भी सहायक होते हैं।
- जनसुनवाई में जूरी द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार मुद्दे के निराकरण की कार्रवाई सर्वप्रथम ग्राम सभा स्तर होना चाहिये। परन्तु यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा हो तो जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात लानी चाहिये।
- यदि जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी भी मुद्दे पर कार्रवाई में असफल हों या अनदेखी करें तो जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी या एसडीएम को अवगत कराना चाहिये।
- यदि आवश्यक हो तो मुद्दों को उच्च अधिकारियों जैसे – संबंधित विभागों के राज्य प्रमुख, लोकपाल या किसी अन्य अपीलीय अधिकारी तक भी ले जाया जा सकता है।
- यदि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई असंतोषजनक है तो थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है। सी.एम. हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है या फिर मीडिया में मुद्दे को प्रचाारित किया जा सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान क्या करें, क्या न करें

क्या करें

- किस समयावधि एवं किन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है बहुत स्पष्ट हो।
- प्रश्नावली तैयार कर लें।
- मार्गदर्शिका/ चेकलिस्ट बना लें।
- मुख्य जानकारियां एकत्रित करें (जो तथ्यों पर आधारित हो), विशेष तौर पर प्रक्रिया, प्रणाली/व्यवस्था, खाता बही से संबंधित जानकारियां अवश्य लें।
- पंचायत के मुखिया से मिलना न भूलें।
- गांव के सभी मोहल्लों में जायें, लोगों से मिलें एवं बात करें।
- मनरेगा में किये गये सभी कार्यों के कार्यस्थलों पर अवश्य जायें।
- वंचित समुदाय को संपर्क करें, उनके घर जायें, उनके साथ बैठें।
- लोगों को कहने का मौका दें और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें।
- लोग आपके सामने कई शिकायतें रख सकते हैं। जो लोग शिकायत लिखकर दे सकते हैं उन्हें लिखकर देने एवं जो लिखकर नहीं दे सकते हैं उन्हें ग्राम सभा में उपस्थित होकर अपनी शिकायत ग्राम सभा कार्यवाही में दर्ज कराने हेतु कहें।
- ग्राम सभा में सभी योजनाओं के हितग्राहियों को आमंत्रित करें।
- आपसे अटपटे प्रश्न पूछे जा सकते है, जैसे –
  - ➢ आप यहां क्यों आये हैं?
  - ➢ क्या आपको इस काम के लिये पैसा मिलता हैं?

  इन प्रश्नों के सही जवाब दें।
- इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यह गलतियां ढूंढने या निकालने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सुधारात्मक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिये।
- ठेकेदार या क्रियान्वयन से जुड़े अन्य लोग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, इसके लिये सजग रहें।

क्या न करें

- व्यक्तिगत मत आधारित टिप्पणियों को जानकारी का आधार न मानें। जैसे – यदि कोई कहे कि रामप्रसाद कह रहा था कि सामग्री की खरीद में पैसे की गड़बड़ी की गई है।
- स्वयं कोई फैसला न करें। ध्यान रखें कि आप केवल सहजकर्ता की भूमिका में हैं। ग्राम सभा में सभी की सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें।
- चर्चा को विषय से न भटकने दें। चर्चा तार्किक ढंग से कराएं और व्यक्तिगत व द्वेषपूर्ण प्रश्नों से बचें।
- लोगों को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोकें।
- पूर्ण सत्यापन किये बगैर किसी पर कोई आरोप न लगायें।
- लोगों को वैधानिक प्रावधान बतायें। व्यक्तिगत पहुँच के आधार पर कार्यवाही कराने की बात न करें।
- कोई भी भड़काने वाली बात न करें।

सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े कुछ सवाल?

जब हम सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया अपनाते हैं तो स्वार्थी तत्व या कहें कि जो लोग योजना के क्रियान्वयन की राशि के दुरूपयोग में भागीदार रहे हैं उनके लिए असहज स्थिति पैदा हो जाती है। इसे और स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से समाज पर दबदबा बनाए रखने वाले समूह का प्रभाव टूटने लगता है तब समुदाय के सामने कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। इन परिस्थितियों से बचने के लिए सामूहिक रूप से कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है।

जैसे–

१. जब सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी तो स्वाभाविक तौर पर संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी। क्योंकि किसी जानकारी के सार्वजनिक होने पर गलती करने वाले लोग गाली–गलौज एवं लड़ाई कर सकते हैं।

२. सामाजिक अंकेक्षण की उपलब्धियों का कुछ विरोधी राजनैतिक दल अपने राजनैतिक हितों को साधने के लिए गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

३. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से गलत काम करने वालों की पहचान होगी किंतु प्रशासनिक व राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में गलती करने वालों का मनोबल और बढ़ेगा।

४. जब कोई पक्ष सामाजिक अंकेक्षण से सीधा प्रभावित होता है तब वह स्थिति का रूख बदलने की कोशिश करता है जैसे–हिंसा, दबाव, समझौता आदि। ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाए जायें?

५. एक बार सामाजिक अंकेक्षण हो जाने के बाद उसका फालोअप कौन करेगा?

६. अंकेक्षण के दौरान गांव वाले कह सकते हैं कि आप सभी विभागों के रिकार्ड या दस्तावेज क्यों नहीं लाए? अमुक विभाग के रिकार्ड कहां हैं? इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या किया जाना चाहिए?

७. क्या इस प्रक्रिया में सदैव प्रशासन का सहयोग मिलेगा?

८. बाद में सामाजिक अंकेक्षण समाज व व्यवस्था के व्यवहार का हिस्सा कैसे बने?

अभ्यास-2

आप अपने गांव के किन 5 मुख्य विषयों/क्षेत्रों पर सामाजिक अंकेक्षण करना चाहेंगे?.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

अपनी पसंद की उन 3 योजनाऐं जिनका आप सामाजिक अंकेक्षण करना चाहते हैं इनसे संबंधित सामाजिक अंकेक्षण करने संबंधी वैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन से जुड़े विभिन्न चरणों का वर्णन करें.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा बुलाने के तरीके को विस्तार से बतायें कि किन-किन तरीकों से ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता हैं.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

समर्थन के बारे में

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर-शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास-रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली–49
वेबसाइट – www.trif.in

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, **वेबसाइट –** www.samarthan.org